Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम ....रायसिंहनगर

मामराज बनाम मेहली देवी आदि

[illegible] मुकदमा 53–92ए–209 आरटीएक्ट नम्बर 18.........सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 460

[illegible]तारीख [illegible] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
[illegible]09.2021	वादी की ओर से श्री सुशील गोदारा अधिवक्ता ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। केवियटकर्ता मेहली देवी एवं राजेश कुमार के अधिवक्ता श्री मोहनलाल बाना को तलब किया गया। वकील वादी एवं वकील केवियटकर्ता को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने निवेदन किया कि केवियटकर्ता मेहली देवी पक्षकार मुकदमा प्रति सं. 1 हैं। प्रतिवादी सं. 2 इन्द्र की ओर से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने अण्डरटेंकिग दी व आगामी पेशी पर वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र इन्द्राज की ओर से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने प्रा. पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। वकील वादी जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 3 ता 22 को जरिए सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र एवं तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 11.10.2021 को पेश हो। [signature] (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	U.T. प्रतिवादी नं. 2 [illegible] मोहनलाल वकील [illegible]
11.10.21	वकील प्रक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश / चुनाव / अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25.10.21 को पेश हो। [signature]	
18/10/21	प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प 12NRD में पेशी में ली गई। वादी ने जरिए अधि० प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि वे प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप करने हेतु निवेदन किया। लिहाजा वाद वादी वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र आधार जरिए (विड्रा) इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प- 12NRD	[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.18 11:17:10 IST
Reason: SelfAttested